



2026:AHC:125632

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19343/2026

अजीत यादव @ रोहित कुमार यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

रजनीश कुमार शाही

विपक्षी के अधिवक्ता

:

जी0ए0

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए0जी0ए0 श्री अमृत राज की बातें सुनीं।

2. आवेदक की ओर से यह ज़मानत अर्ज़ी दायर की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि माननीय न्यायालय संबंधित अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 388/2025, गो-वध अधिनियम की धारा 3/5ए/5बी/8 और बीएनएस की धारा 109(1) के तहत, पुलिस स्टेशन- सलेमपुर, ज़िला- देवरिया में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की कृपा करे।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर में पाँच आरोपियों के नाम हैं। उन्होंने आगे कहा कि दो आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से एक गाय और दो बछड़े बरामद किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों, यानी *नागेंद्र कुमार और राज यादव* को, यह कोर्ट पहले ही ज़मानत दे चुका है; इसके लिए आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5833/2026 और 7249/2026 में क्रमशः 10.03.2026 और 16.04.2026 को आदेश पारित किए गए थे। उन्होंने दलील दी कि आवेदक समेत अन्य तीन आरोपी घटना स्थल पर नहीं मिले थे और उन्हें केवल गिरफ्तार किए गए सह-आरोपी के कथित इकबालिया बयानों के आधार पर फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया कि आवेदक के खिलाफ़ ऐसा कोई स्वतंत्र सबूत नहीं मिला है जो उसे कथित अपराध से जोड़ता हो। इसलिए, मौजूदा आवेदक का मामला उन सह-आरोपियों के मामले से बेहतर स्थिति में है जिन्हें पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। इस तरह यह दलील दी गई कि समानता के आधार पर आवेदक भी ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 20.04.2026 से न्यायिक हिरासत में है। यह तर्क दिया गया कि ज़मानत पर रिहा होने पर, आवेदक ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, न्याय की प्रक्रिया से नहीं बचेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान ए0जी0ए0 ने ज़मानत की अर्ज़ी का पुरजोर विरोध किया।

5. पक्षों के विद्वान वकीलों की बात सुनने के बाद तथा इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

6. आवेदक - **अजीत यादव उर्फ रोहित कुमार यादव**, जो इस मामले में शामिल है, को संबंधित कोर्ट की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही रकम के दो-दो जमानती देने पर इन शर्तों के साथ बेल पर रिहा किया जाता है:-

(i) आवेदक जांच या सुनवाई के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर अभियोजन के सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii). आवेदक बिना किसी रोक-टोक के सुनवाई में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii). आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

7. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी सख्त कदम उठाने और/या कानून के अनुसार उसे दी गई जमानत रद्द करने की आज़ादी होगी। जमानती स्वीकार करने से पहले संबंधित कोर्ट आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और रहने के सबूत को ठीक से सत्यापित करेगा।

3 जून, 2026

(अनिल कुमार-X, न्यायमूर्ति)